(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

27/1/25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/3/25 को पेश हो।

20/03/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/04/25 को पेश हो।

09/04/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार पाटन से तथ्यात्मक रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी हैं जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 25.04.2025 को पेश हो।

25/04/2025

वास्ते आदेश पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार पाटन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थीगण पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान के मध्य सहमति से विधिक तकास्मा करवाने के बाद ऑन लाईन नक्शा में सही अंकन नही हुआ। वादग्रस्त आराजी का सहमति से विभाजन प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश से हुआ था। जिसके मुताबिक आदेश उत्तर से दक्षिण किया गया था परन्तु वर्तमान ऑन लाईन में विभाजन पूर्व से पश्चिम कर दिया गया है जबकि लठा नक्शा में भी तरमीम मुताबिक विभाजन आदेश ही की गई थी। उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

Signature Not V
Digitally signed by R
Yadav
Date: 2025.05.26 1
Reason: SelfAtteste

आदेश

तन ग्राम दलपतपुरा पटवार हल्का दलपतपुरा तहसील पाटन अवस्थित ख.नं. 1005/1, 1005/2, 1536/1, 1536/2, 1558/1, 1558/2 में तहसीलदार पाटन द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांकित 11.12.2024 के अनुसार तरमीम शुद्व किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट दिनांकित 11.12.2024 निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 11:57:24 IST
Reason: SelfAttested